सत्यमेव जयते

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) – द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./छत्तीसगढ़–03/2019–20 दिनांक:– 27.06.2019

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकरी

विषय:–
1. **दिनांक 01.01.2018 से राज्य शासन के पेंशनरों के मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें (सातवे वेतनमान में 7 प्रतिशत एवं छठवे वेतनमान में 142 प्रतिशत)।**
2. **दिनांक 01.07.2018 से राज्य शासन के पेंशनरों के मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें (सातवे वेतनमान में 9 प्रतिशत एवं छठवे वेतनमान में 148 प्रतिशत)।**

संदर्भ:–
1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त पत्रांक पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/324 दिनांक 08.05.2019
2. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, क्रमांक 134/एफ 2013–04–00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 08.03.2019
3. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, क्रमांक 199/एफ 2013–04–00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 12.04.2019

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त आदेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.agmp.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

Shashiyla

लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक/पेंशन/डी.आर.एस.एस.ए./छत्तीसगढ़–03/2019–20 दिनांक:–

प्रतिलिपि:–

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र दिनांक 08.05.2019 के संबंध में सूचनार्थ।

–sd/–

लेखा अधिकारी/पेंशन

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

पंजीकृत विशेष मुद्रा प्राधिकार

क्र.पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/ 324 Sp-151,141,107 दिनांक 8/5 /2019

प्रति,

01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र–5, कोषालय भवन, तीज़ हज़ारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110124
02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद–500463
03 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) अरूणाचल प्रदेश, ईटा नगर–791111
04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी–781029

001791

05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–।। बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना–800001
06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009
07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट न.–4 एवं 5, सेक्टर 33–बी, चंडीगढ़–160047
08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला–171003
09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्ज़ीबीशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर–190009
10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.–डोरंडा, राँची–834002
11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.–5329/5369 बैंगलोर–560001
12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.–5607, एम.जी. रोड, तिरूवनंथपुरम–695039
13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–।। मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर–474002
14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–।। महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर–440001
16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मनिपुर, इम्फाल–795001
17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलाँग–793001
18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिज़ोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐज़वल–796001
19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा–797001
20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडीशा, भुवनेश्वर–751001
21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17–ई, चंडीगढ़–160017
22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर–302005
23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली पी.ओ.–टाडोंग, गंगटॉक–737102
24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई–600018
25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.–कुंजाभवन, अगरतला–799006
26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तराँचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून–248171
27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद–211001
28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक–2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता–700001
29 कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
30 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
31 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), तेलंगाना, सैफाबाद, हैदराबाद–500463

विषयः 1.दिनांक 01.01.2018 से राज्य शासन के पेंशनरों के महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें।

2. दिनांक 01.07.2018 से राज्य शासन के पेंशनरों के महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें।

संदर्भः 1.छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग,मंत्रालय,महानदी भवन,अटल नगर, क्रमांक 134/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 08.03.2019

2. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग,मंत्रालय,महानदी भवन,अटल नगर, क्रमांक 199/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 12.04.2019

संदर्भित निर्देशों, जो की वेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं, का पालन करने एवं अपने अधिनस्थ सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्नः संदर्भित निर्देश की प्रति।

DA-27 30-5-19

कार्या. महालेखाकार (ले. एवं हक) द्वितीय
पंजीकृत डॉक
24 MAY 2019

लेखा अधिकारी/पी.ए.

क्र.पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/ दिनांकः /2019

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग,मंत्रालय,महानदी भवन,अटल नगर, क्रमांक 192/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, अटल नगर, दिनांक 09.04.2019 एवं क्रमांक 211/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, अटल नगर, दिनांक 25.04.2019 को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

महालेखाकार
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

Sd/-
लेखा अधिकारी/पी.ए.

वित्त निर्देश 4/2019

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

क्रमांक 134/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार   अटल नगर, दिनांक 8 मार्च, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- दिनांक 01.01.2018 से राज्य शासन के पेंशनरों के मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 255/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 29 मई, 2018 एवं 259/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 29 मई, 2018 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.07.2017 से 5% (सातवें वेतनमान में) एवं 139% (छठवें वेतनमान में) की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी:-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की वृद्धि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में मंहगाई राहत की दर दिनांक 01-01-2018 से	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 2% (कुल 7%)
छठवें वेतनमान में मंहगाई राहत की दर दिनांक 01-01-2018 से	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 3% (कुल 142%)

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त

विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि -2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 8/3/2019
संयुक्त सचिव

वित्त निर्देश 8/2019

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

क्रमांक 199/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार . अटल नगर, दिनांक 12 अप्रैल, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- दिनांक 01.07.2018 से राज्य शासन के पेंशनरों के मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 134/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 8 मार्च, 2019 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2018 से 7% (सातवें वेतनमान में) एवं 142% (छठवें वेतनमान में) की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी:-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की वृद्धि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में मंहगाई राहत की दर दिनांक 01-07-2018 से	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 2% (कुल 9%)
छठवें वेतनमान में मंहगाई राहत की दर दिनांक 01-07-2018 से	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 6% (कुल 148%)

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के

अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नही होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।

7/ भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437/01/ES-1/CGH-HP/2019, दिनांक 9 अप्रैल, 2019 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

12/04/2019

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव